एअर इंडिया लिमिटेड के सदस्यों के समक्ष स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने एअर इंडिया लिमिटेड (''कंपनी'') के संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिनमें 31 मार्च, 2016 तक की अवधि के तुलन–पत्र तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि खाते की विवरणी व नकदी प्रवाह विवरणी तथा महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश एवं अन्य स्पष्टीकरण सूचना सम्मिलित हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंध वर्ग की जिम्मेदारी

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों की जिम्मेदारी कंपनी के निदेशक मंडल की है। इन मामलों में कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 में उल्लिखित लेखा मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन तथा नकदी प्रवाह की वास्तविक तथा स्पष्ट स्थिति दर्शाने वाले स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करना सम्मिलित है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, इसके अंतर्गत उपयुक्त लेखा रिकार्ड बनाए रखने की जिम्मेदारी भी शामिल है जिससे कंपनी की परिसंपत्तियां सुरक्षित रहें तथा धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं से बचा जा सके व उनका पता लगाया जा सके, उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन व प्रयोग किया जा सके, उचित व विवेकपूर्ण निर्णय तथा आकलन किए जा सकें एवं उन उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार, कार्यान्वित तथा बनाए रखा जा सके जो लेखा रिकार्डों की शुद्धता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए सुचारू रूप से प्रभावी हैं तथा धोखाधड़ी व त्रुटि के कारण होने वाली बड़ी गलतियों से मुक्त व वास्तविक एवं स्पष्ट स्थिति दर्शाने वाले वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

लेखा परीक्षा के आधार पर इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर मत प्रकट करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन एवं लेखा परीक्षा मानकों तथा अधिनियम के प्रावधानों व उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार लेखा परीक्षा रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले अपेक्षित विषयों को ध्यान में रखा है।

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत वर्णित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षा की गई है कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का अनुपालन करें तथा लेखा परीक्षा इस प्रकार नियोजित और निष्पादित करें कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में कोई बड़ी त्रुटि न हो।

लेखा परीक्षा के तहत वित्तीय विवरणियों में दी गई राशियों तथा प्रकटन के संबंध में लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करनी होती हैं। वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण होने वाली किसी व्यापक गलती के जोखिम के मूल्यांकन सहित प्रक्रिया का चयन लेखा परीक्षक के विवेक पर निर्भर करता है। इन जोखिमों का मूल्यांकन करते समय लेखा परीक्षक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को ध्यान में रखता है जो वास्तविक तथा स्पष्ट स्थिति दर्शाने वाले कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं तथा जिससे वह उस स्थिति में उपयुक्त लेखा प्रक्रिया की रूपरेखा बना सके। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता, प्रबंध वर्ग द्वारा दिए गए लेखांकन आकलनों की उपयुक्तता तथा वित्तीय विवरणों की सम्पूर्ण प्रस्तुति का मूल्यांकन भी सम्मिलित होता है। हमारा विश्वास है कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर अपने लेखा परीक्षा मत को आधार देने के लिए हमने पर्याप्त एवं उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त किए हैं।

क्वालीफाइड ओपीनियन के आधार

1. **कंपनी ने निम्नलिखित अनुपालन नहीं किए हैं:**

   I) **एएस 10 को एएस–6 के साथ पढ़ने पर – विक्रय के लिए निर्मित किए गए फ्लैटों पर 5.9 मिलियन रुपए की राशि का मूल्यह्रास (संचित मूल्यह्रास 76.8 मिलियन रुपए है) प्रभारित किया गया है जिनमें बेचे जा चुके/पिछले वर्षों में कब्जा दिए जा चुके फ्लैट भी सम्मिलित हैं। अतः ऐसे विक्रय से हुए लाभ/हानि का निर्धारण नहीं किया गया है। (नोट सं0 27(ख) देखें)**

ii) एएस 13– "निवेश के लिए लेखांकन" में अस्थायी को छोड़कर, अन्य निवेश के मूल्य में कमी का प्रावधान नहीं किया गया है, सहायक कंपनी अर्थात् मैसर्स भारतीय होटल निगम में 1106.0 मिलियन रुपए का गैर चालू निवेश किया गया है।

iii) एएस 15– कर्मचारी लाभों के संदर्भ में सेवानिवृत्ति पश्चात् प्राप्त अन्य चिकित्सा लाभ की गणना एवं पहचान तथा ग्रेच्यूटी एवं छुट्टी नकदीकरण के लिए पात्र कर्मचारियों की संख्या। इनका संपूर्ण प्रभाव अनिर्धारित रहा। (नोट सं0 45 के पैरा ग के उप पैरा (क) एवं (ख) देखें)।

2. नीचे दी गई मदों/मामलों के संबंध में प्रावधान न करने से 1807.4 मिलियन रुपए तक की हानि कम दर्शाई गई:

क) इनवेंटरी:

- 315.2 मिलियन रुपए "ओपन वर्क आर्डर सस्पेंस खाता" के तहत असमायोजित रहे। (नोट सं0 37(क) देखें);

- 228.9 मिलियन रुपए विभिन्न मध्यवर्ती लेखों के तहत असमायोजित रहे। (नोट सं0 37(ख) देखें);

- 503.3 मिलियन रुपए के सीएफ 6 इंजन पार्ट के संबंध में अप्रचलन हेतु प्रावधान। (नोट सं0 37(ग) देखें);

ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 760 मिलियन रुपए के भुगतान में विलंब पर ब्याज की मांग (नोट सं. 25 क(क) देखें);

3. निम्न के प्रभाव का निर्धारण नहीं किया गया है:

क) कुछ प्राप्य तथा देयों के मिलान (सांविधिक देयों सहित), जो लंबित हैं, के संबंध में नोट सं. 34 देखें।

ख) जस्टिस धर्माधिकारी समिति की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना का कार्यान्वयन न किए जाने तथा देयताओं (जहां तक व्यवहार्य हो) का परिमाण निर्धारित न किए जाने के संबंध में नोट सं. 25 क(घ) देखें।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि निर्धारित सीमा तक पड़ने वाले प्रभाव पर विचार करते हुए, उपयुक्त पैरा 1 व 2 में हमारे द्वारा की गई टिप्पणियों के मद्देनजर : (क) ईपीएस पर परिणात्मक प्रभाव सहित वर्ष में 2907.5 मिलियन रुपए की हानि कम दर्शायी गई, (ख) संचित हानि 2836.6 मिलियन रुपए (बेचे गए फ्लैटों पर संचित मूल्यह्रास सहित) कम दर्शायी गई तथा कुल परिसम्पत्तियां 2076.6 मिलियन रुपए अधिक दर्शायी गईं तथा कुल देयताएं 760.0 मिलियन रुपए कम दर्शायी गईं।

क्वालीफाइड ओपीनियन

हमारी राय तथा सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, ''क्वालीफाइड ओपीनियन के लिए आधार''' वाले पैराग्राफ में वर्णित मामलों के संभावित प्रभाव को छोड़कर, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण ("मामले का महत्त्व" पैराग्राफ के पैरा vi को छोड़कर) 31 मार्च, 2016 को कंपनी की स्थिति तथा इसके नकदी प्रवाह की सूचना अधिनियम की अपेक्षा के अनुसार देते हैं तथा भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वास्तविक तथा स्पष्ट स्थिति प्रस्तुत करते हैं:

मामले का महत्त्व

हम निम्न तथ्यों पर ध्यान दिलाना चाहते हैं :

i) नोट सं. 25 क(ग) जो कार्यशील पूंजी ऋणों के संबंध में डिफरेंशियल गारंटी शुल्क की छूट तथा 9541.60 मिलियन रुपए के अतिरिक्त गारंटी शुल्क, जिसके संबंध में भारत सरकार से अनुमोदन लिया जाना शेष है, के संबंध में है। अतः इसे आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है।

ii) नोट सं0 27 (ग) जो लीज़ डीड न होने तथा भूमि का कब्जा (आंशिक अतिक्रमण) लेने के संबंध में है जिसके लिए 24.6 मिलियन रुपए का एडवांस दिया गया है।

iii) नोट सं0 29 जो 8551.1 मिलियन रुपए की उपयोग न की गई व वैधता समाप्त ड्यूटी क्रेडिट एनटाइटलमेंट स्क्रिप्स के संबंध में है जिन्हें बट्टे खाते में नहीं डाला गया है जबकि भारत सरकार से इनका नवीकरण/समयावधि बढ़ाई जानी काफी समय से लंबित है।

iv) नोट सं0 43(ड.) जो सहायक कंपनियों के लेखों को अंतिम रूप देने तथा लेखों का मिलान लंबित होने के संबंध में है। अतः हम देयताओं तथा/अथवा परिसंपत्तियों के वर्षान्त शेष पर प्रभाव, यदि कोई हैं, पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।

v) नोट सं0 37(घ) जो सैप तथा रैमको के बीच इनवेंटरी शेषों में 74.8 मिलियन रुपए के अंतर का मिलान लंबित होने के संबंध में है।

vi) निम्न के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–III की प्रकटन अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया गया है:

- ऋण की चुकौती की अवधि। (नोट सं0 4 के फुटनोट सं0 4 (ii क) देखें)
- ऋण के प्रत्येक मामले के लिए अलग से प्रतिभूति (सिक्योरिटी) की प्रकृति। (नोट सं0 4 का फुटनोट सं0 4 (ii क) देखें)
- प्रत्येक मामले के संबंध में ऋणों तथा उन पर ब्याज की चुकौती में हो रही चूक की अवधि तथा राशि। (नोट सं0 5 एवं नोट सं0 7 के फुटनोट देखें)
- वित्त लागत के तहत विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव का प्रकटन। (नोट सं0 19 देखें)
- एमएसएमई के देयों/भुगतान की सूचना को प्रकट न करना जिन्हें संभवतः व्यापार देयों के तहत सम्मिलित किया गया है (नोट सं. 49 देखें)
- कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के भाग 5 के अनुसार, जहां तक लागू हो, अतिरिक्त प्रकटन अपेक्षा जिसके लिए कंपनी द्वारा मांगी गई छूट लंबित है (नोट सं. 52 देखें)

vii) नोट सं. 51 जो प्रबंध वर्ग के इस तर्क के संबंध में है कि कंपनी को गोइंग कंसर्न माना जा रहा है। इस नोट में उल्लिखित प्रचालनात्मक लाभ के मापन के आधार के संबंध में हमारी कोई राय नहीं है।

उक्त मामलों के संबंध में हमारे मत में किंचित परिवर्तन नहीं है।

अन्य वैधानिक तथा विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट:

1. अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (11) के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (''आदेश'') की अपेक्षानुसार तथा हमारे द्वारा उपयुक्त रूप से कंपनी की बहियों एवं रिकार्ड की जांच के आधार पर तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, आदेश के पैरा 3 तथा 4 में उल्लिखित मामलों पर विवरण **अनुलग्नक–I** में दिया गया है।

2. अधिनियम की धारा 143 (3) की अपेक्षा के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने वे सभी सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण मांगे तथा प्राप्त किए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे।

ख) हमारी राय में कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित उचित खाता बहियां रखी हुई हैं, जैसाकि हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए उपयुक्त उन बहियों एवं रिटर्नस् की जांच से प्रतीत होता है।

ग) हमने विदेशी स्टेशनों का दौरा नहीं किया तथा विदेशी स्टेशनों संबंधी लेन–देन के सत्यापन के लिए हम उपलब्ध कराई गई संक्षिप्त रिपोर्टों पर निर्भर रहे तथा इस रिपोर्ट को तैयार करते समय उनका उचित प्रकार से उपयोग किया गया।

घ) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र तथा लाभ–हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) विवरण लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

ड.) ऊपर ''क्वालीफाइड ओपीनियन के आधार'' के पैरा सं01 में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत उल्लिखित लेखा मानकों के अनुरूप है।

च) ऊपर दिए गए ''मामले का महत्त्व'' पैराग्राफ के उप पैरा सं0 (vii) में वर्णित गोइंग कंसर्न अवधारणा हमारी राय में कंपनी की कार्यप्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।

छ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होती है।

ज) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता तथा ऐसे नियंत्रणों की कार्यात्मक प्रभावशीलता के संबंध में **अनुलग्नक–2** में दी गई हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

झ) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में सम्मिलित अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार :

क. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है – वित्तीय विवरणों का नोट सं0 25 देखें।

ख. कंपनी ने दीर्घकालीन कॉन्ट्रेक्ट सहित सहायक कॉन्ट्रेक्ट पर अप्रत्याशित हानि, यदि कोई है, के लिए लागू कानून अथवा लेखा मानकों की अपेक्षानुसार प्रावधान किए हैं।

ग. कंपनी को निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि में धनराशि अंतरित करनी अपेक्षित नहीं थी।

3. अधिनियम की धारा 143 (5) के संदर्भ में, हमारे द्वारा उपयुक्त रूप से कंपनी की बहियों तथा रिकार्डों की जांच के आधार पर तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निदेशों व उप–निदेशों पर हमारी रिपोर्ट **अनुलग्नक–3** में संलग्न है।

कृते एवं की ओर से
ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 000038 एन

कृते एवं की ओर से
सारदा एवं परीक
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 109262 डब्ल्यू

कृते एवं की ओर से
वर्मा एंड वर्मा
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 004532 एस

वी.राजारमन
पार्टनर
सदस्यता सं0 2705

गौरव सारदा
पार्टनर
सदस्यता सं0 110208

के.एम.सुकुमारन
पार्टनर
सदस्यता सं0 015707

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14 अक्तूबर, 2016

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक– '1'

सम तिथि की अन्य वैधानिक तथा विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट शीर्ष के तहत पैराग्राफ 5(1) में उल्लिखित "अनुलग्नक–1"

1. स्थिर परिसंपत्तियां

क) ब्लॉक आधार पर सैप में अंतरित मदों तथा पहचान किए गए घटकों के संबंध में स्थिर परिसंपत्ति रजिस्टर को अपडेट किया जा रहा है। (नोट सं0 27(ड.) का पैरा 'ग' देखें।)

ख) कंपनी द्विवार्षिक अवधि में स्थिर परिसंपत्तियों की सभी मदों का सत्यापन करती है जो कंपनी के आकार तथा इसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति को देखते हुए हमारे मतानुसार उपयुक्त है। हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान प्रबंध वर्ग ने प्रमुख स्थिर परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन कराया तथा स्थिर परिसंपत्तियों की कुछ मदों के वास्तविक सत्यापन पर पाई गई विसंगति, यदि कोई है, के लिए लेखांकन समायोजन, मिलान का कार्य पूरा हो जाने तथा उपयुक्त प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त हो जाने पर किया जाएगा।

ग) संपादन के लिए लंबित टाइटल/लीज़ डीड को छोड़कर (नोट सं. 27(क) देखें) अचल संपत्तियों की टाइटल/लीज़ डीड कंपनी के नाम पर होती है; हमें दिए गए विवरण निम्नानुसार हैं:

प्रकार	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	राशि (मिलियन रुपए में)
लीज़ होल्ड भूमि व भवन	537,969.40	72,995.56
फ्री होल्ड भूमि व भवन	177,629.02	3,467.98

2. इनवेंटरी

कंपनी द्विवार्षिक अवधि में इनवेंटरी की सभी मदों का सत्यापन करती है जो कंपनी के आकार तथा इसकी इनवेंटरी की प्रकृति को देखते हुए हमारे मतानुसार उपयुक्त है। हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार द्विवार्षिक अवधि 2014–16 के लिए इनवेंटरियों का वास्तविक सत्यापन अभी जारी है (नोट सं0 28 (ख) देखें)। अतः विसंगति, यदि कोई है, पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत पार्टियों के साथ लेन–देन

हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में सम्मिलित किसी कंपनी, फर्म, सीमित देयता भागीदारियों अथवा अन्य पार्टियों को वर्ष के दौरान रक्षित अथवा अरक्षित किसी प्रकार का कोई ऋण नहीं दिया है। उपर्युक्त के दृष्टिगत आदेश के खण्ड 3(iii)(क), 3(iii)(ख) और 3(iii)(ग) लागू नहीं हैं।

4. अधिनियम की धारा 185 तथा 186 के तहत सम्मिलित ऋण, निवेश, गारंटी व प्रतिभूति आदि

हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 के तहत सम्मिलित कोई ऋण अथवा किसी प्रकार की कोई गारंटी तथा प्रतिभूति नहीं दी है।

इसके अतिरिक्त, सरकारी कंपनी होने के कारण कंपनी को धारा 186 के प्रावधानों से छूट प्राप्त है क्योंकि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची (vi) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं प्रदान करने का बिज़नेस कर रही हैं।

5. जमाः

हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 के प्रावधानों अथवा अन्य किसी प्रावधान तथा इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत कंपनी ने जमा स्वीकार नहीं किए हैं।

6. लागत रिकार्डः

हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, सेवा उद्योग होने के कारण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप धारा (I) के तहत केन्द्रीय भारत सरकार ने लागत रिकार्ड रखने संबंधी आदेश नहीं दिए हैं।

7. सांविधिक देय

हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा लेखा बहियों की हमारी जांच के आधार पर आयकर, सेवाकर एवं भविष्य निधि में अंशदान को छोड़कर, अविवादित सांविधिक देयों जैसे लागू भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निधि, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, धन कर, विक्रय कर, मूल्य संवर्धित कर, उपकर तथा अन्य दूसरे आर्थिक सांविधिक देयों को उपयुक्त प्राधिकरणों में सामान्यतः देय तिथि के भीतर जमा किया गया है।

सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 2016 को 6 माह से अधिक समय से बकाया अविवादित सांविधिक देयताएं निम्नानुसार हैं:

क्र.सं0	विवरण	बकाया राशि (रुपए मिलियन में)
1	आयकर–टीडीएस	192.57
2	भविष्य निधि / उस पर ब्याज	12.08

क) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, निम्नलिखित विवादों को छोड़कर अन्य किसी विवाद के कारण 31 मार्च 2016 तक विक्रय कर, धनकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य संवर्धित कर, सेवा कर तथा उपकर जमा करना शेष नहीं है :

क्र. सं0	कानून का नाम	बकाया राशि (रुपए मिलियन में)	देयों का प्रकार	वर्ष	फोरम, जहां विवाद लंबित है
1	वित्त अधिनियम, 1994	16.56	सीमा शुल्क	1997–2004	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड
2	वित्त अधिनियम, 1994	14.43	सीमा शुल्क	2005–06	सर्वोच्च न्यायालय
3	वित्त अधिनियम, 1994	120.31	सीमा शुल्क	2001–2005 2002–2014 2000–2015	सीईएसटीएटी
4	वित्त अधिनियम, 1994	207.90	सीमा शुल्क	2000–2015 तक अनेक वर्ष	सीमा शुल्क आयुक्त

क्र. सं0	कानून का नाम	बकाया राशि (रुपए मिलियन में)	देयों का प्रकार	वर्ष	फोरम, जहां विवाद लंबित है
5	वित्त अधिनियम, 1994	582.60	सीमा शुल्क	1999–2002	सीमा शुल्क आयुक्त (अपील)
6	वित्त अधिनियम, 1994	101.66	सीमा शुल्क	2003–05 2007–08	सीमा शुल्क विभाग
7	वित्त अधिनियम, 1994	5578.30	सेवा कर	2003–2014 तक अनेक वर्ष	सीईएसटीएटी
8	वित्त अधिनियम, 1994	319.56	सेवा कर	2005–2013 तक अनेक वर्ष	सेवा कर आयुक्त
9	वित्त अधिनियम, 1994	2.75	सेवा कर	2013–14 2014–15	सेवा कर विभाग
10	आयकर अधिनियम, 1961	45.57	आय कर	2002–03 2012–13	आय कर आयुक्त
11	आयकर अधिनियम, 1961	93.82	आय कर	2001–02	उच्च न्यायालय
12	आयकर अधिनियम, 1961	1028.95	आय कर	2006–07 2000–01	आय कर न्यायाधिकरण
13	महाराष्ट्र नगरपालिका (चुंगी) नियम 1968	24.70	चुंगी	2010–11 2010–2011	बीएमसी, मुंबई नगर निगम द्वारा मांगे गए

8. बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से आवधिक ऋणः

हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा हमारे मतानुसार, कंपनी ने वित्तीय संस्थानों/बैंकों के देयों की चुकौती में विलंब किया तथा वर्ष के अंत में ऋणों पर पुराने देय ब्याज के रूप में 349.9 मिलियन रुपए का भुगतान बकाया है जिसके लिए वित्तीय विवरणों के नोट सं. 4, 5 तथा 7 के फुटनोट में उल्लिखित तथ्य के दृष्टिगत ऋणदातावार विवरण प्रस्तुत नहीं किए जा सके।

9. पब्लिक ऑफर एवं ऋणः

कंपनी ने आरंभिक पब्लिक ऑफर अथवा आगे अन्य किसी पब्लिक ऑफर (ऋण इन्सट्रूमेंट सहित) के माध्यम से कोई धन जमा नहीं किया है। अतः विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए ऐसे धन का उपयोग नहीं किया गया।

कंपनी ने आवधिक ऋणों का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जिनके लिए वे प्राप्त किए गए थे।

10. धोखाधड़ी :

वित्तीय विवरण के नोट 36(घ) में प्रकट की गई धोखाधड़ी को छोड़कर वर्ष के दौरान हमें कंपनी द्वारा अथवा कंपनी में इसके अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा आर्थिक धोखाधड़ी की घटनाओं की सूचना अथवा रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है; पिछले वर्षों के दौरान पाई गई धोखाधड़ी का ब्योरा तथा उससे संबंधित जांच/अंतिम समायोजन को नोट सं0 36(क), (ख), (ग) तथा (ड़) में दिया गया है।

11. प्रबंधकीय पारिश्रमिक :

जैसाकि सूचित किया गया है नागर विमानन मंत्रालय की दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर.463(ई) के संदर्भ में प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित धारा 197 के प्रावधान सरकारी कंपनी होने के कारण कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

12. निधि कंपनी

कंपनी निधि कंपनी नहीं है। अतः यह खण्ड लागू नहीं है।

13. संबंधित पार्टी लेन–देन :

हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान संबंधित पार्टियों के साथ सभी लेन–देन लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित थे तथा जहां लागू है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के प्रावधान लागू नहीं हैं। लागू लेखांकन मानक की अपेक्षानुसार संबंधित पार्टी लेन–देन का विवरण वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है; नोट सं0 40 देखें।

14. शेयरों का प्रिफरेंशियल आबंटन अथवा निजी नियोजन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने शेयरों अथवा पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय ऋणपत्रों का कोई प्रिफरेंशियल आबंटन अथवा निजी नियोजन नहीं किया है क्योंकि यह खण्ड कंपनी पर लागू नहीं है।

15. निदेशकों के साथ गैर–नकदी लेन–देन :

कंपनी के रिकार्ड तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने निदेशकों अथवा उनके साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार का गैर–नकदी लेन–देन नहीं किया है अतः यह खण्ड कंपनी पर लागू नहीं है।

16. आरबीआई अधिनियम की धारा 45–I क के तहत पंजीकरण :

कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–I क के तहत पंजीकृत होना अपेक्षित नहीं है।

कृते एवं की ओर से
ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 000038 एन

वी.राजारमन
पार्टनर
सदस्यता सं0 2705

कृते एवं की ओर से
सारदा एवं परीक
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 109262डब्ल्यू

गौरव सारदा
पार्टनर
सदस्यता सं0 110208

कृते एवं की ओर से
वर्मा एंड वर्मा
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 004532 एस

के.एम.सुकुमारन
पार्टनर
सदस्यता सं0 015707

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14 अक्तूबर, 2016

एअर इंडिया लि. के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर समतिथि की स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का "अनुलग्नक–2"

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप–धारा 3 के खण्ड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के साथ–साथ 31 मार्च, 2016 को एअर इंडिया लि. ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंध वर्ग की जिम्मेदारी:

कंपनी का प्रबंध वर्ग आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने व बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है, ये ''आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा संबंधी मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित हैं।'' इन जिम्मेदारियों में उपयुक्त वित्तीय नियंत्रणों की डिज़ाइन, कार्यान्वयन तथा उन्हें बनाए रखना सम्मिलित है। ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षा के अनुसार अपने बिज़नेस को सुचारू एवं कुशल रूप से चलाना सुनिश्चित करने, कंपनियों की नीतियों का अनुपालन करने, अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने, धोखाधड़ी तथा त्रुटि को रोकने तथा पता लगाने, लेखा रिकार्डों की परिशुद्धता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के लिए प्रभावशाली रूप से कार्य कर रहे हैं।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी:

अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर मत प्रकट करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने लेखा परीक्षा आईसीएआई द्वारा जारी 'वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट ("गाइडेंस नोट") तथा लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार की है तथा ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के संबंध में लागू कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार हैं। ये दोनों (मार्गदर्शन नोट व लेखा परीक्षा के मानक) आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए लागू हैं तथा दोनों ही इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए हैं। इन मानकों तथा मार्गदर्शन नोट की अपेक्षानुसार हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करते हैं तथा लेखा परीक्षा की योजना व निष्पादन ये उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए करते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित व मेंटेन किए गए हैं तथा सभी आर्थिक मामलों के संबंध में ये नियंत्रण प्रभावशाली हैं।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सिस्टम की उपयुक्तता तथा उसकी कार्यात्मक प्रभावशीलता के बारे में लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं सम्पादित की जाती हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना, वित्तीय विवरणों में मौजूद कमी के जोखिम का मूल्यांकन करना तथा मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिज़ाइन एवं कार्यात्मक प्रभावशीलता का परीक्षण तथा मूल्यांकन सम्मिलित हैं। प्रक्रिया का चयन तथा धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों में गलती के जोखिम का मूल्यांकन लेखा परीक्षक के विवेक पर निर्भर करता है।

हमारा विश्वास है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संबंध में अपने लेखा परीक्षा मत को आधार देने के लिए हमने पर्याप्त एवं उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त किए हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता तथा वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उपयुक्त आश्वासन देती है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंतर्गत वे नीतियां तथा प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं जो–

(1) रिकार्ड के मेनटेनेंस से संबंधित हैं तथा ये रिकार्ड कंपनी के लेन–देन तथा परिसंपत्तियों के वितरण का उपयुक्त विवरण, परिशुद्ध व स्पष्ट रूप से दर्शाते हों।

(2) पर्याप्त आश्वासन देती हैं कि सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, वित्तीय विवरणों को तैयार करने की आवश्यकतानुसार लेन–देन रिकार्ड किए जाते हैं तथा कंपनी की प्राप्तियां तथा व्यय कंपनी के प्रबंध वर्ग तथा निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार किए जाते हैं; तथा

(3) कंपनी की परिसंपत्तियों, जिनका वित्तीय विवरणों पर सार्थक प्रभाव पड़ सकता है, के अप्राधिकृत अर्जन, उपयोग अथवा वितरण को रोकने अथवा समय पर उनका पता लगाने के संबंध में यथोचित आश्वासन देती है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं:

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं तथा नियंत्रणों की कपटपूर्ण अथवा अनुपयुक्त प्रबंधन की संभावना के कारण भूलवश अथवा धोखाधड़ी से वित्तीय विवरणों में त्रुटि हो सकती है तथा उनका पता न लगने की संभावना हो सकती है। साथ ही भावी समयावधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमानों से ऐसे जोखिम हो सकते हैं कि स्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अनुपयुक्त हो सकते हैं अथवा नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन के अंश में कमी आ सकती है।

क्वालीफाइड ओपीनियन

हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर 31 मार्च, 2016 को निम्नलिखित तथ्यात्मक कमियां पाईं गईं :

(i) कंपनी में विक्रय/राजस्व तथा इनवेंटरी प्रबंधन से संबंधित विभिन्न कार्यात्मक सॉफ्टवेयर के बीच व एकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ कोई इंटरफेस नहीं है जिसके परिणामस्वरूप लेखांकन प्रविष्टियां मैनुअली की जाती हैं।

(ii) कंपनी में विक्रय/राजस्व के संबंध में नियंत्रण लेखों के मिलान के लिए कोई उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण सिस्टम नहीं है।

(iii) कंपनी में सांविधिक देयों की कटौती, जमा तथा समायोजन के लिए कोई उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण सिस्टम नहीं है।

(iv) कंपनी में अपने कार्य व्यापार के आकार, प्रकृति तथा जटिलताओं के अनुरूप प्रभावशाली आंतरिक लेखा परीक्षा सिस्टम नहीं है।

(v) कंपनी में आवधिक आधार पर शेषों की पुष्टि प्राप्त करने तथा मिलान न हुए प्राप्य एवं देयों के समायोजन के लिए कोई उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण सिस्टम नहीं है।

(vi) कंपनी में आईटी के सामान्य नियंत्रण के मूल्यांकन व परीक्षण के लिए कोई प्रभावशाली सूचना प्रणाली ऑडिट नहीं है जो आईटी सिस्टम से सृजित रिपोर्टों की पूर्णता, परिशुद्धता तथा विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में "तथ्यात्मक कमी" एक ऐसी कमी अथवा कमियों का संयोजन है जिसमें यह संभावना रहती है कि कंपनी के वार्षिक या अंतरिक वित्तीय विवरणों में तथ्यात्मक त्रुटि को समय पर रोका अथवा पहचाना नहीं जा सकेगा।

हमारे मतानुसार, नियंत्रण मानदंड के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु ऊपर उल्लिखित तथ्यात्मक कमी के प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोड़कर कंपनी ने सभी आर्थिक मामलों के संबंध में वित्तीय रिपोर्टिंग पर उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मेंटेन किए हैं तथा 31 मार्च, 2016 को वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावशाली रूप से कार्य कर रहे थे तथा ये नियंत्रण

इनस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी 'वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट' में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित हैं।

हमने जहां तक संभव है कंपनी की 31 मार्च, 2016 की स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में प्रयोग किए गए लेखा परीक्षा परीक्षणों की प्रकृति, समय व सीमा निर्धारित करने में ऊपर रिपोर्ट की गईं व पाईं गईं, तथ्यात्मक कमियों पर विचार किया है तथा इन तथ्यात्मक कमियों से कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारा मत प्रभावित होने की संभावना नहीं है।

कृते एवं की ओर से
ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 000038एन

कृते एवं की ओर से
सारदा एवं परीक
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 109262डब्ल्यू

कृते एवं की ओर से
वर्मा एंड वर्मा
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 004532 एस

वी.राजारमन
पार्टनर
सदस्यता सं0 2705

गौरव सारदा
पार्टनर
सदस्यता सं0 110208

के.एम.सुकुमारन
पार्टनर
सदस्यता सं0 015707

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14 अक्तूबर, 2016

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–3

क्र.सं.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत निदेश	लेखा परीक्षक की टिप्पणी
1.	यदि कंपनी को विनिवेश के लिए चुना गया है तो विनिवेश प्रक्रिया के तरीके तथा वर्तमान स्थिति सहित परिसंपत्तियों (अमूर्त परिसंपत्तियां तथा भूमि) एवं देयताओं (वचनबद्धता व सामान्य आरक्षित सहित) के मूल्यांकन के संदर्भ में संपूर्ण स्थिति रिपोर्ट की जांच की जाए।	कंपनी को विनिवेश के लिए चुना नहीं गया है।
2.	कृपया बताएं कि क्या उधारी/ऋण/व्यय आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने के कोई मामले हैं, यदि हाँ, तो उसके कारण व उसकी राशि बताएं।	हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, केवल सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अलग–अलग मामलों को अलग–अलग आधार पर बट्टे खाते में डाला जाता है। तथापि वर्ष के दौरान प्रबंध वर्ग ने बट्टे खाते में कुछ नहीं डाला है।
3.	क्या तीसरी पार्टी के पास रखी इनवेंटरियों तथा सरकार अथवा अन्य प्राधिकरणों से उपहारस्वरूप प्राप्त परिसंपत्तियों का उचित रिकार्ड रखा जाता है।	हमें दी गई सूचना के अनुसार, तीसरी पार्टी के पास रखी इनवेंटरियों का विवरण इंजीनियरी विभाग द्वारा रखा जाता है। तथापि इस संबंध में पुष्टि नहीं दी गई है।
4.	लंबित कानूनी/मध्यस्थता मामलों का समयवार विश्लेषण, लंबित रहने के कारणों तथा सभी कानूनी मामलों (विदेशी तथा स्थानीय) पर किए जा रहे व्यय की मॉनीटरिंग प्रणाली की मौजूदगी/प्रभावशीलता पर रिपोर्ट दी जाए।	लंबित कानूनी/मध्यस्थता मामलों के समयवार विश्लेषण के संबंध में प्रबंधवर्ग द्वारा दिए गए विवरण अनुलग्नक–क में संलग्न हैं। हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार अधिकांश मामलों के लंबित रहने के प्रमुख कारण निम्नानुसार हैं:– 1. मामले लंबे समय से ''सुनवाई'' के लिए सूचीबद्ध नहीं हुए। 2. न्यायालय द्वारा ''स्व प्रेरणा'' से मामले स्थगित कर दिए गए। 3. लंबे समय से अंतिम निपटान नहीं हो पा रहा है। न्यायालय तथा मध्यस्थ (मध्यस्थों) के समक्ष लंबित कानूनी मामलों के संबंध में लगी राशि को कंपनी ने आकस्मिक देयता माना है।

क्र.सं.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत निदेश	लेखा परीक्षक की टिप्पणी
		अलग–अलग मामलों के आधार पर कानूनी प्रभारों/व्यय को अंतिम रूप दिया गया है। संबंधित विभाग द्वारा सूक्ष्मता से जांच तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से व्यावसायिक शुल्क का भुगतान किया जाता है।
5.	क्या कंपनी के पास फ्री होल्ड तथा लीज़ होल्ड के लिए क्रमशः स्पष्ट टाइटल/लीज़ डीड हैं? यदि नहीं, तो कृपया उन फ्री होल्ड तथा लीज़ होल्ड भूमि का क्षेत्रफल बताएं जिनकी टाइटल/लीज़ डीड उपलब्ध नहीं हैं?	प्रबंध वर्ग द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट – सीएआरओ के **अनुलग्नक–I** के क्र.सं. –1(ग) तथा वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में निर्मित नोट सं. 27(क) में दिए गए हैं।

कृते एवं की ओर से
ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 000038एन

हस्ता./–
वी.राजारमन
पार्टनर
सदस्यता सं0 2705

कृते एवं की ओर से
सारदा एंड परीक
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 109262डब्ल्यू

हस्ता./–
गौरव सारदा
पार्टनर
सदस्यता सं0 110208

कृते एवं की ओर से
वर्मा एंड वर्मा
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 004532 एस

हस्ता./–
के.एम.सुकुमारन
पार्टनर
सदस्यता सं0 015707

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14 अक्तूबर, 2016

अनुलग्नक - I

वर्ष 2014–15 के दौरान बट्टे खाते में डाले जाने संबंधी विवरण

क्र.सं0	पार्टी का नाम	राशि (रुपए में)	बट्टे खाते में डालने का कारण
1	नेशनल बैंक ऑफ उज़बेकिस्तान	244,470.40	जब किसी समय 1999 में ताशकन्द के लिए उड़ान प्रचालित करने का निर्णय लिया गया था तब यह बैंक खाता खोला गया था। ताशकन्द के लिए उड़ान प्रचालन कभी संभव नहीं हो पाया और इस खाते का उपयोग कभी नहीं किया गया और न ही इस बैंक की शाखा के विवरण वित्त विभाग को उपलब्ध कराए गए। बैंक की शाखा तथा अन्य विवरण प्राप्त करने के लिए तत्कालीन वरिष्ठ प्रबंधक–वाणिज्य श्री टी.आर.मलिक (अब सेवानिवृत्त) से संपर्क करने के प्रयास किए गए जो उस समय उड़ान प्रचालन की निगरानी के लिए ताशकन्द में थे। परंतु उनसे कोई जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकी क्योंकि वे हमें ज्ञात अंतिम पते से शिफ्ट हो चुके थे। हमारे और प्रयासों (यहां तक की ताशकन्द में भारतीय राजदूतावास के माध्यम से भी) के बावजूद बैंक के शाखा विवरण पता करने में हमें कोई सफलता नहीं मिली। खाता बहुत पुराना है, उपयोग में नहीं लाया जा रहा है तथा वसूली की कोई संभावना नहीं है, इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से 4820 अमरीकी डॉलर, जो 244,470 भारतीय रुपए के बराबर हैं, को बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

अनुलग्नक–क

31.03.2016 को लंबित कानूनी मामले

क्षेत्र	एक वर्ष से कम समय से	एक वर्ष से अधिक व 3 वर्षों तक	3 वर्षों से अधिक व 5 वर्षों तक	5 वर्षों से अधिक समय से	कुल
उत्तरी क्षेत्र	16	29	10	64	119
पश्चिमी क्षेत्र	06	17	06	21	50
पूर्वी क्षेत्र	15	19	15	19	68
दक्षिणी क्षेत्र	07	11	06	27	51
हैदराबाद	20	25	23	34	102
पंजीकृत कार्यालय	07	03	01	17	28
निगमित मुख्यालय	64	93	58	224	439
कुल	**135**	**197**	**119**	**406**	**857**

वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए एअर इंडिया लिमिटेड की वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर प्रबंध वर्ग के उत्तर

क्र.सं.	लेखा परीक्षा टिप्पणी	प्रबंध वर्ग की टिप्पणी
	स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट	
	हमने एअर इंडिया लिमिटेड (''कंपनी'') के संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिनमें 31 मार्च, 2016 तक की अवधि के तुलन–पत्र तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि खाते की विवरणी व नकदी प्रवाह विवरणी तथा महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश एवं अन्य स्पष्टीकरण सूचना सम्मिलित है।	यह कथन सही है।
	स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंध वर्ग की जिम्मेदारी	
	कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों की जिम्मेदारी कंपनी के निदेशक मंडल की है। इन मामलों में कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 में उल्लिखित लेखा मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन तथा नकदी प्रवाह की वास्तविक तथा स्पष्ट स्थिति दर्शाने वाले स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करना सम्मिलित है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, इसके अंतर्गत उपयुक्त लेखा रिकार्ड बनाए रखने की जिम्मेदारी भी शामिल है जिससे कंपनी की परिसंपत्तियां सुरक्षित रहें तथा धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं से बचा जा सके व उनका पता लगाया जा सके। उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन व प्रयोग किया जा सके। उचित व विवेकपूर्ण निर्णय तथा आकलन किए जा सकें एवं उन उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार, कार्यान्वित तथा बनाए रखा जा सके जो लेखा रिकार्डों की शुद्धता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए सुचारू रूप से प्रभावी हैं तथा धोखाधड़ी व त्रुटि के कारण होने वाली बड़ी गलतियों से मुक्त हो व वास्तविक एवं स्पष्ट स्थिति दर्शाने वाले वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।	यह कथन सही है।

क्र.सं.	लेखा परीक्षा टिप्पणी	प्रबंध वर्ग की टिप्पणी
	लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर मत प्रकट करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन एवं लेखा परीक्षा मानकों तथा अधिनियम के प्रावधानों व उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार लेखा परीक्षा रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले अपेक्षित विषयों को ध्यान में रखा है। हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत वर्णित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षा की गई है कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का अनुपालन करें तथा लेखा परीक्षा इस प्रकार नियोजित और निष्पादित करें कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में कोई बड़ी त्रुटि न हो। लेखा परीक्षा के तहत वित्तीय विवरणियों में दी गई राशियों तथा प्रकटन के संबंध में लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करनी होती हैं। वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण होने वाली किसी व्यापक गलती के जोखिम के मूल्यांकन सहित प्रक्रिया का चयन लेखा परीक्षक के विवेक पर निर्भर करता है। इन जोखिमों का मूल्यांकन करते समय लेखा परीक्षक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को ध्यान में रखता है जो वास्तविक तथा स्पष्ट स्थिति दर्शाने वाले कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं तथा जिससे वह उस स्थिति में उपयुक्त लेखा प्रक्रिया की रूपरेखा बना सके। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता, प्रबंध वर्ग द्वारा दिए गए लेखांकन आकलनों की उपयुक्तता तथा वित्तीय विवरणों की सम्पूर्ण प्रस्तुति का मूल्यांकन भी सम्मिलित होता है। हमारा विश्वास है कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर अपने लेखा परीक्षा मत को आधार देने के लिए हमने पर्याप्त एवं उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त किए हैं।	यह कथन सही है।
	क्वालीफाइड ओपीनियन के आधार	
1.	कंपनी ने निम्नलिखित अनुपालन नहीं किए हैं:	
	I) एएस 10 को एएस–6 के साथ पढ़ने पर – विक्रय के लिए निर्मित किए गए फ्लैटों पर 5.9 मिलियन रुपए की राशि का मूल्यह्रास (संचित मूल्यह्रास 76.8 मिलियन रुपए है) प्रभारित किया गया है जिनमें बेचे जा चुके/पिछले वर्षों में कब्जा दिए जा चुके फ्लैट भी सम्मिलित हैं। अतः ऐसे विक्रय से हुए लाभ/हानि का निर्धारण नहीं किया गया है। (नोट सं0 27(ख) देखें)	नेरुल में एआई के स्वामित्व वाली भूमि पर सम्पत्ति की बिक्री अभी पूर्ण नहीं हुई है क्योंकि बेची गई सम्पत्ति का टाइटल, कर्मचारियों को उनके द्वारा बनाई गई प्रस्तावित सोसाइटी/एसोसिएशन के नाम पर अभी तक हस्तांतरित नहीं किया गया है। यह भी पाया गया है कि कुछ दस्तावेजों के अभाव में ये सोसाइटियां अभी तक पंजीकृत नहीं हैं। इसी कारण कर्मचारियों से प्राप्त विक्रय

क्र.सं.	लेखा परीक्षा टिप्पणी	प्रबंध वर्ग की टिप्पणी
		आय को भी लेखा बहियों में समायोजित नहीं किया गया है और सम्पत्तियों का स्वामित्व अभी भी एआई के पास है। इसीलिए इन संपत्तियों पर मूल्यह्रास प्रभारित किया जा रहा है तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 में इन औपचारिकताओं के पूरा होने पर आवश्यक लेखाकरण कार्रवाई कर ली जाएगी।
ii)	**एएस 13– "निवेश के लिए लेखांकन" में अस्थायी को छोड़कर, अन्य निवेश के मूल्य में कमी का प्रावधान नहीं किया गया है, सहायक कंपनी अर्थात् मैसर्स भारतीय होटल निगम में 1106.0 मिलियन रुपए का गैर चालू निवेश किया गया है।**	कंपनी के प्रचालनात्मक निष्पादन को सुधारने और वित्तीय निष्पादन में सुधार के लिए राजस्व में वृद्धि हेतु एचसीआई द्वारा विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही, भारत सरकार की ओर से 350 मिलियन रुपए के इक्विटी इन्फ्यूजन के साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के दौरान एचसीआई, कंपनी की सभी परिसम्पत्तियों को अपग्रेड कर रहा है। इस प्रक्रिया में सहायता के लिए भारत सरकार 100 मिलियन रुपए की इक्विटी वर्ष 2013–14 में तथा 120 मिलियन रुपए की इक्विटी वर्ष 2014–15 के दौरान इन्फ्यूज कर चुकी है और 50 मिलियन रुपए की राशि वर्ष 2015–16 के लिए मंजूर की गई है। इस राशि का इस्तेमाल दिल्ली और श्रीनगर की सम्पत्तियों के नवीकरण के लिए किया जा रहा है। कंपनी ने अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष कर दी थी जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष 50 मिलियन रुपए की बचत होगी। कंपनी सेंटॉर होटल, दिल्ली के कमरों को विभिन्न प्राधिकारियों को किराए पर देने की प्रक्रिया में है जिससे प्रतिवर्ष वृद्धिशील राजस्व अर्जन होगा जिसके परिणामस्वरूप कंपनी की हानि में कमी होगी। इसके अतिरिक्त, एआई ने केटरिंग सेवाएं प्रदान करने हेतु मैसर्स शैफेयर दिल्ली और मुम्बई को तत्काल प्रभाव से अतिरिक्त उड़ानें प्रदान करने का निर्णय भी लिया है। एचसीआई के स्वामित्व में दिल्ली एयरपोर्ट, श्रीनगर और मुम्बई में शैफेयर की सम्पत्तियां बहुत मूल्यवान हैं। इसके अतिरिक्त कंपनी प्रचालनात्मक स्थिति में है और उड़ानगत केटरिंग और यात्रियों एवं

क्र.सं.	लेखा परीक्षा टिप्पणी	प्रबंध वर्ग की टिप्पणी
		अन्य व्यक्तियों को होटल आवास प्रदान करने जैसी सामान्य गतिविधियां कर रही है। तथापि, उल्लेखनीय है कि यदि डायल को चौथे रनवे के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता हुई तो एएआई और डायल (ओएमडीए) के करार की शर्तों के अनुसार सेंटॉर होटल को यह भूमि डायल को देनी होगी जिसके लिए क्षतिपूर्ति का निर्धारण किया जाएगा। इसी प्रकार, श्रीनगर की सम्पत्ति पर मुकदमा चलने के कारण एचसीआई इसे दीर्घकालिक प्रबंधन संविदा पर देने में असमर्थ है। परंतु इन्हीं कारणों से, एचसीआई और एअर इंडिया द्वारा एचसीआई के प्रचालनात्मक/वित्तीय निष्पादन को सुधारने के लिए किए गए उपायों के दृष्टिगत एअर इंडिया लि. आशावान है कि एचसीआई वर्ष 2016–17 से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने राजस्व से करने में समर्थ हो जाएगी। एचसीआई में अपने निवेश के संबंध में एअर इंडिया को विश्वास है कि एचसीआई के बंद होने/बेचे जाने की स्थिति में एचसीआई को दिए गए ऋणों और संपत्ति में किए गए निवेश को वह वापस प्राप्त कर लेगी। तदनुसार कंपनी द्वारा एचसीआई में किए गए निवेश के लिए कोई प्रावधान करने पर विचार नहीं किया गया है।
iii)	**एएस 15– कर्मचारी लाभों के संदर्भ में सेवानिवृत्ति पश्चात् प्राप्त अन्य चिकित्सा लाभ की गणना एवं पहचान तथा ग्रेच्यूटी एवं छुट्टी नकदीकरण के लिए पात्र कर्मचारियों की संख्या। इनका संपूर्ण प्रभाव अनिर्धारित रहा। (नोट सं0 45 के पैरा ग के उप पैरा (क) एवं (ख) देखें)।**	यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015–16 के लिए सेवानिवृत्ति के पश्चात् चिकित्सीय लाभ प्रदान करने के लिए 350 मिलियन रुपए का तदर्थ प्रावधान किया गया है क्योंकि योजना में संशोधन अर्थात् चिकित्सीय लाभ के लिए बढ़े हुए अंशदान के कारण संबंधित स्टेटिकल डाटा एकत्र नहीं किया जा सका। प्रबंध वर्ग का मत है कि 350 मिलियन रुपए का प्रावधान पर्याप्त है। तथापि, एक बार संबंधित डाटा एकत्र किए जाने और एआईईएसएल और एआईएटीएसएल नाम की पृथक की गई (हाइव ऑफ) सहायक कंपनियों में कर्मचारियों का स्थानांतरण करने के बाद, उसका वास्तविक मूल्यांकन कर लिए जाने पर वर्ष 2016–17 में आवश्यक लेखाकरण कार्यवाही कर ली

क्र.सं.	लेखा परीक्षा टिप्पणी	प्रबंध वर्ग की टिप्पणी
		जाएगी। इसे नोट संख्या 53 सी(ए एवं बी) में पर्याप्त रुप से प्रकट कर दिया गया है।
2	**नीचे दी गई मदों/मामलों के संबंध में प्रावधान न करने से 1807.4 मिलियन रुपए तक की हानि कम दर्शाई गई:**	
	क) इनवेंटरी के संबंध में:	
	– **315.2 मिलियन रुपए "ओपन वर्क आर्डर सस्पेंस खाता" के तहत असमायोजित रहे। (नोट सं0 37(क) देखें);**	ओपन वर्क आर्डर सस्पेंस खाते में, अपनी खरीद की गई वे परिसम्पत्तियां सम्मिलित हैं जो मरम्मत हेतु थर्ड पार्टी/ सहायक कंपनी को जारी की गईं और जिन्हें वर्ष के अंत में बंद नहीं किया गया। ओपन वर्क आर्डर सस्पेंस खाते को बंद करने के लिए मिलान की प्रक्रिया प्रगति पर है। रैमको सिस्टम में इन वर्क ऑडर्स (कार्य आदेशों) के पूरा हो जाने पर इन मदों का लेखाकरण कर दिया जाएगा।
	– **228.9 मिलियन रुपए विभिन्न मध्यवर्ती लेखों के तहत असमायोजित रहे। (नोट सं0 37(ख) देखें);**	इनवेंटरी शेषों के मिलान/संशोधन के लंबित होने के कारण, विभिन्न मध्यस्थ खातों में रखे इनवेंटरी शेषों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है जिसके कारण 31.03.2016 तक रैमको सिस्टम में उपभोग/ जारी/स्क्रैपेज को अपडेट नहीं किया गया है। इन खातों का मिलान हो जाने पर यथा समय आवश्यक समायोजन कर लिए जाएंगे। वर्ष के दौरान यह सुनिश्चित करने के पूरे प्रयास किए गए हैं कि वर्तमान और पिछले वर्ष के पूरे हो चुके वर्क ऑर्डर्स (कार्य आदेश) जो अब तक रैमको सिस्टम में खुले हुए थे, को वर्ष के दौरान बंद कर दिया जाए। वर्क ऑर्डर्स (कार्य आदेशों) का समापन एक अनवरत प्रक्रिया है। शेष कार्य आदेशों की समीक्षा की जाएगी और उनके यथा समय समापन के पुनः प्रयास किए जाएंगे।
	– **503.3 मिलियन रुपए के सीएफ 6 इंजन पार्ट के संबंध में अप्रचलन हेतु प्रावधान। (नोट सं0 37(ग) देखें);**	सीएफ6 इंजन पार्ट्स के मामले में, ऐसे कल–पुर्जों का अन्य विमानों में इस्तेमाल का पता किया जा रहा है अथवा इन कल–पुर्जों को थर्ड पार्टी जॉब के लिए एमआरओ सहायक कंपनी को स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

क्र.सं.	लेखा परीक्षा टिप्पणी	प्रबंध वर्ग की टिप्पणी
ख)	– **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 760 मिलियन रुपए के भुगतान में विलंब पर ब्याज की मांग (नोट सं. 25 क(क) देखें);**	कंपनी एएआई के देयों पर ब्याज के भुगतान की देयता का निरंतर विरोध करती रही है। यह इस तथ्य पर आधारित था कि एएआई द्वारा प्रभारित किया गया ब्याज कंपनी की वित्तीय स्थिति जोकि वित्तीय पुनः संरचना योजना (एफआरपी) के अंतर्गत है, पर विचार करते हुए एकदम असंगत है। इसके अलावा, भारत सरकार की ओर से एअर इंडिया में किए गए इक्विटी इन्फ्यूजन में विलंब के कारण, एअर इंडिया को अधिक ऋण पर अतिरिक्त ब्याज प्रभार वहन करना पड़ा। एअर इंडिया ने बकाया राशि पर ब्याज वसूलने की एएआई की बात को बड़ी दृढ़ता से खारिज किया है। एअर इंडिया ने पीएसएफ और अन्य सांविधिक देयताओं को कम करने के लिए एस्क्रो खाते के माध्यम से एक एस्क्रो तंत्र स्थापित किया है और इसके अतिरिक्त बकायों के स्तर को कम करने के लिए प्रति कार्य दिवस पर 50 लाख रुपए का भुगतान कर रही है। इसके अतिरिक्त, इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि एआई और एएआई के बीच दिनांक 28 अगस्त, 2013 के समझौता ज्ञापन के अनुसार वर्ष 2012–13 के लिए एएआई को किए गए विलंबित भुगतानों पर ब्याज के लिए 760.0 मिलियन रुपए की राशि आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाई गई है क्योंकि एअर इंडिया एएआई को किए गए विलंबित भुगतानों पर ब्याज के भुगतान के लिए सहमत नहीं हुई है। एअर इंडिया को विलंबित भुगतानों पर ब्याज के लिए एएआई की ओर से कोई प्रवर्तनीय (बाध्यकारी) मांग प्राप्त नहीं हुई है और जब भी यह प्राप्त होगी उसका विरोध किया जाएगा।
3.	**निम्न के प्रभाव का निर्धारण नहीं किया गया है:**	
क)	**कुछ प्राप्य तथा देयों के मिलान (सांविधिक देयों सहित), जो लंबित हैं, के संबंध में नोट सं. 34 देखें।**	कंपनी ने सैप में प्राप्यों और देयों के एक बड़े भाग का मिलान कर लिया है। तथापि, शेष खातों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2016–17 में सैप में उन प्राप्यों और देयों के मिलान की कार्रवाई कर ली जाएगी जिनका अभी मिलान नहीं हुआ है। कंपनी ने सांविधिक देयों की फाइल की गई रिटर्न्स/रखे गए सांविधिक रिकार्डों से मिलान के लिए बाहरी चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म को नियुक्त किया है। जब भी इन मिलानों का कार्य पूरा हो जाएगा, कंपनी

क्र.सं.	लेखा परीक्षा टिप्पणी	प्रबंध वर्ग की टिप्पणी
		आवश्यक समायोजन कर लेगी।
	ख) जस्टिस धर्माधिकारी समिति की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना का कार्यान्वयन न किए जाने तथा देयताओं (जहां तक व्यवहार्य हो) का परिमाण निर्धारित न किए जाने के संबंध में नोट सं. 25 क(घ) देखें।	जस्टिस धर्माधिकारी समिति की सिफारिशों के आधार पर, कर्मचारियों की अधिकांश श्रेणियों के लिए विभिन्न तिथियों से संशोधित मूल वेतन को लागू कर दिया गया है। तथापि, इसे शेष श्रेणियों, जिनमें वाइड बॉडी विमानों के पायलट (गैर एग्ज़ेक्यूटिव) और केबिन क्रू (गैर प्रबंधकीय) सम्मिलित हैं जिन्होंने उच्चतम न्यायालय में एसएलपी के माध्यम से सिफारिशों को लागू करने का विरोध किया है, के लिए लागू किया जाना शेष है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने मामले को निपटान हेतु इसे तीन जजों की बेंच के पास भेज दिया है। जब तक यह कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती तब तक प्रबंध वर्ग के लिए ऐसी श्रेणियों के संबंध में सटीक देयता का पता लगा पाना संभव नहीं होगा क्योंकि वेतन ढांचे में विभिन्न भत्तों को समाप्त करना सम्मिलित है और संशोधित मूल वेतन में कुछ अन्य भत्तों को एक साथ जोड़कर संशोधित किया गया है। मामला क्योंकि न्यायाधीन है इसलिए अंतिम देयता का पता सभी मामलों का निपटान होने के बाद ही लगाया जा सकता है।
	हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि निर्धारित सीमा तक पड़ने वाले प्रभाव पर विचार करते हुए, उपयुक्त पैरा 1 व 2 में हमारे द्वारा की गई टिप्पणियों के मद्देनजर : (क) ईपीएस पर परिणात्मक प्रभाव सहित वर्ष में 2907.5 मिलियन रुपए की हानि कम दर्शायी गई, (ख) संचित हानि 2836.6 मिलियन रुपए (बेचे गए फ्लैटों पर संचित मूल्यह्रास सहित) कम दर्शायी गई तथा कुल परिसम्पत्तियां 2076.6 मिलियन रुपए अधिक दर्शायी गईं तथा कुल देयताएं 760.0 मिलियन रुपए कम दर्शायी गईं।	

क्र.सं.	लेखा परीक्षा टिप्पणी	प्रबंध वर्ग की टिप्पणी
	क्वालीफाइड ओपीनियन हमारी राय तथा सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, ''क्वालीफाइड ओपीनियन के लिए आधार'' वाले पैराग्राफ में वर्णित मामलों के संभावित प्रभाव को छोड़कर, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण ("मामले का महत्त्व" पैराग्राफ के पैरा vi को छोड़कर) 31 मार्च, 2016 को कंपनी की स्थिति तथा इसके नकदी प्रवाह की सूचना अधिनियम की अपेक्षा के अनुसार देते हैं तथा भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वास्तविक तथा स्पष्ट स्थिति प्रस्तुत करते हैं: **मामले का महत्त्व** हम निम्न तथ्यों पर ध्यान दिलाना चाहते हैं :	
I)	नोट सं. 25 क(ग) जो कार्यशील पूंजी ऋणों के संबंध में डिफरेंशियल गारंटी शुल्क की छूट तथा 9541.60 मिलियन रुपए के अतिरिक्त गारंटी शुल्क, जिसके संबंध में भारत सरकार से अनुमोदन लिया जाना शेष है, के संबंध में है। अतः इसे आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है।	कंपनी ने सरकारी गारंटीशुदा सभी विमान ऋणों और कार्यशील पूंजीगत ऋणों पर 0.5 प्रतिशत गारंटी फीस प्रदान की है। कंपनी ने कार्यशील पूंजी और ईसीबी ऋणों के संबंध में 0.5 प्रतिशत से अधिक गारंटी फीस को समाप्त करने के लिए मामले को नागर विमानन/वित्त मंत्रालय के समक्ष रखा है। इस विषय पर टीएपी और एफआरपी चूक समिति बैठकों के दौरान भी विशेष चर्चा की गई थी। तदनुसार, 1526.7 मिलियन रुपए की 0.5 प्रतिशत से अधिक गारंटी फीस आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाई गई है। इसके अतिरिक्त, विलंबित भुगतान के कारण 8014.9 मिलियन रुपए की अतिरिक्त देयता भी आकस्मिक के रूप में दर्शाई गई है। यह मामला एक केबिनेट नोट के द्वारा नागर विमानन मंत्रालय के माध्यम से वित्त मंत्रालय के समक्ष रखा गया है। कंपनी को विश्वास है कि वित्त मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय के प्रस्ताव पर अनुकूल रूप से विचार करेगा क्योंकि कंपनी एक वित्तीय पुनः संरचना योजना के अंतर्गत है जिसमें सरकार सक्रिय रूप से कंपनी में इक्विटी इन्फ्यूज कर रही है। कंपनी ने वित्त मंत्रालय को

क्र.सं.	लेखा परीक्षा टिप्पणी	प्रबंध वर्ग की टिप्पणी
		यह विकल्प भी दिया है कि वह वीवीआईपी देयों को सरकार को देय गारंटी फीस (0.5 प्रतिशत की साधारण फीस) के एवज़ में समायोजित कर दे।
ii)	नोट सं0 27 (ग) जो लीज़ डीड न होने तथा भूमि का कब्जा (आंशिक अतिक्रमण) लेने के संबंध में है जिसके लिए 24.6 मिलियन रुपए का एडवांस दिया गया है।	यह कथन सही है।
iii)	नोट सं0 29 जो 8551.1 मिलियन रुपए की उपयोग न की गई व वैधता समाप्त ड्यूटी क्रेडिट एनटाइटलमेंट स्क्रिप्स के संबंध में है जिन्हें बट्टे खाते में नहीं डाला गया है जबकि भारत सरकार से इनका नवीकरण/समयावधि बढ़ाई जानी काफी समय से लंबित है।	कंपनी को सर्व फ्रॉम इंडिया स्कीम (एसएफआईएस) के तहत ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स जारी की गई थीं। दिनांक 31 मार्च, 2015 को वर्श 2007–08, 2009–10 और 2010–11 के लिए कुल अनप्रयुक्त ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स की राशि 11551.5 मिलियन रुपए थी। कंपनी ने अनप्रयुक्त स्क्रिप्स के विस्तार/नवीकरण के मामले को उपयुक्त प्राधिकरणों के साथ सक्रिय रूप से फोलो–अप किया जिसके कारण कंपनी को वित्त वर्श 2007–08 के संबंध में 3000.0 मिलियन रुपए की एसएफआईएस स्क्रिप्स मई/जून, 2016 में जारी की गई। कंपनी 8551.5 मिलियन रुपए की शेश स्क्रिप्स के नवीकरण/विस्तार के लिए जोरदार प्रयास कर रही है। इन स्क्रिप्स का इस्तेमाल प्राथमिक रूप से एटीएफ की घरेलू सॉर्सिंग हेतु उत्पाद शुल्क के भुगतान के लिए किया जाएगा। कंपनी इन स्क्रिप्स की कुछ राशि को अपनी उन समूह कंपनियों/सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों को हस्तांतरित करने की भी योजना बना रही है जो अगले दो वर्षों में अपने इस्तेमाल हेतु पूंजी उपकरण और मशीनरी आयात की योजना बना रही हैं तथा स्पेयर्स पर सामान्य आयात शुल्क के भुगतान में भी इनका प्रयोग किया जाएगा। प्रबंध वर्ग इन स्क्रिप्स को डायरेक्टर जनरल ऑफ फौरेन ट्रेड (डीजीएफटी) के कार्यालय से यथा समय प्राप्त करने के लिए विश्वस्त है और तदनुसार बही खातों में इसके लिए किसी भी प्रावधान को आवश्यक नहीं समझा गया है।

क्र.सं.	लेखा परीक्षा टिप्पणी	प्रबंध वर्ग की टिप्पणी
iv)	नोट सं0 43(ड.) जो सहायक कंपनियों के लेखों को अंतिम रूप देने तथा लेखों का मिलान लंबित होने के संबंध में है। अतः हम देयताओं तथा/अथवा परिसंपत्तियों के वर्शान्त शेश पर प्रभाव, यदि कोई हैं, पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।	यह कथन सही है।
v)	नोट सं0 37 (घ) जो सैप तथा रैमको के बीच इनवेंटरी शेषों में 74.8 मिलियन रुपए के अंतर का मिलान लंबित होने के संबंध में है।	सैप और रैमको के बीच 74.8 मिलियन रुपए के इनवेंटरी शेषों के अंतर के लंबित मिलान के लिए नोट सं. 37(घ); रैमको सिस्टम को 5.7 वर्ज़न में अपग्रेड किया जा रहा है और कंपनी को विश्वास है कि सैप के साथ रैमको के इंटरफेस के बाद इस प्रकार की विषमताओं को ठीक कर लिया जाएगा।
vi)	निम्न के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–III की प्रकटन अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया गया है:	
	- ऋण की चुकौती की अवधि। (नोट सं0 4 के फुटनोट सं0 4 (ii क) देखें)	यह कथन सही है। बैंकों के संघ के साथ किए गए करारों, जिनमें भुगतानों, ब्याज की दरों, प्रतिभूति की प्रकृति की शर्तों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, की प्रकृति गोपनीय होने के कारण इसे प्रकट नहीं किया गया है। तथापि, यह कंपनी के पास उपलब्ध है, जिसके महत्त्वपूर्ण उद्धरणों का प्रकटन पहले ही खातों में कर दिया गया है।
	- ऋण के प्रत्येक मामले के लिए अलग से प्रतिभूति (सिक्योरिटी) की प्रकृति। (नोट सं0 4 का फुटनोट सं0 4 (ii क) देखें)	
	- प्रत्येक मामले के संबंध में ऋणों तथा उन पर ब्याज की चुकौती में हो रही चूक की अवधि तथा राशि। (नोट सं0 5 एवं नोट सं0 7 के फुटनोट देखें)	
	- वित्त लागत के तहत विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव का प्रकटन। (नोट सं0 19 देखें)	
	- एमएसएमई के देयों/भुगतान की सूचना को प्रकट न करना जिन्हें संभवतः व्यापार देयों के तहत सम्मिलित किया गया है (नोट सं. 49 देखें)	
	- कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के भाग 5 के अनुसार, जहां तक लागू हो अतिरिक्त प्रकटन अपेक्षा जिसके लिए कंपनी द्वारा मांगी गई छूट लंबित है (संदर्भ नोट सं. 52 देखें)	

क्र.सं.	लेखा परीक्षा टिप्पणी	प्रबंध वर्ग की टिप्पणी
vii)	नोट सं. 51 जो प्रबंध वर्ग के इस तर्क के संबंध में है कि कंपनी को गोइंग कंसर्न माना जा रहा है। इस नोट में उल्लिखित प्रचालनात्मक लाभ के मापन के आधार के संबंध में हमारी कोई राय नहीं है।	अपने प्रचालन और वित्तीय निष्पादन को सुधारने के लिए कंपनी ने एक टर्न अराउंड प्लान (टीएपी) बनाया जिसमें कंपनी का प्रचालनात्मक और वित्तीय दोनों ही प्रकार का टर्न अराउंड शामिल था। टर्न अराउंड योजना (टीएपी) जिसकी जांच स्वतंत्र कंसलटेंट द्वारा की गई है, पर कंपनी के पूर्वानुमानों के आधार पर, एक वित्तीय पुनः संरचना योजना (एफआरपी) बनाई गई और उसे 1अक्तूबर 2011 से लागू किया गया है जिसमें प्रोजेक्ट किए गए नगदी प्रवाह के अनुरूप कंपनी के ऋण को चुकाए जाने को ध्यान में रखा गया है। भारत सरकार की सहायता और कंपनी द्वारा अपनी प्रचालनात्मक और वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए किए गए विभिन्न उपायों के कारण यह अपेक्षा की जाती है कि भविष्य में कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार होता रहेगा। वित्त वर्श 2015–16 में हाल ही में ईंधन की कीमतों में आई भारी गिरावट और प्रचालनात्मक और वित्तीय निश्पादन में सर्वतोमुखी सुधार के कारण कंपनी ने वित्त वर्श 2015–16 में 1050.0 मिलियन रुपए का प्रचालनात्मक लाभ अर्जित किया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि वर्श 2007–08 में अपने विलय के बाद जब कंपनी ने प्रचालनात्मक लाभ अर्जित किया है। एसबीआई कैप्स, जिसने कंपनी के लिए संशोधित टर्न अराउंड और वित्तीय पुनः संरचना योजना तैयार की है, उसने प्रचालन और बाजार स्थितियों में हुए सुधार को ध्यान में रखते हुए मूल टीएपी/एफआरपी की तुलना में कंपनी के कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने की समय–सीमा कम कर दी है। अप्रत्याशित पारिस्थितियों को छोड़कर कंपनी को टीएपी में निर्धारित समय से पूर्व कैश पॉज़िटिव स्थिति में लौटने की आशा है। अतः खाते 'गोइंग कन्सर्न आधार' पर तैयार किए जा रहे हैं।

क्र.सं.	लेखा परीक्षा टिप्पणी	प्रबंध वर्ग की टिप्पणी
	उक्त मामलों के संबंध में हमारे मत में किंचित परिवर्तन नहीं है।	
	अन्य वैधानिक तथा विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट:	
1.	अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (11) के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (''आदेश'') की अपेक्षानुसार तथा हमारे द्वारा उपयुक्त रूप से कंपनी की बहियों एवं रिकार्ड की जांच के आधार पर तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, आदेश के पैरा 3 तथा 4 में उल्लिखित मामलों पर विवरण अनुलग्नक–I में दिया गया है।	
2.	अधिनियम की धारा 143 (3) की अपेक्षा के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:	यह कथन सही है।
	क) हमने वे सभी सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण मांगे तथा प्राप्त किए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे।	
	ख) हमारी राय में कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित उचित खाता बहियां रखी हुई हैं, जैसाकि हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए उपयुक्त उन बहियों एवं रिटर्नस् की जांच से प्रतीत होता है।	
	ग) हमने विदेशी स्टेशनों का दौरा नहीं किया तथा विदेशी स्टेशनों संबंधी लेन–देन के सत्यापन के लिए हम उपलब्ध कराई गई संक्षिप्त रिपोर्टों पर निर्भर रहे तथा इस रिपोर्ट को तैयार करते समय उनका उचित प्रकार से उपयोग किया गया।	
	घ) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र तथा लाभ–हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) विवरण लेखा बहियों के अनुरूप हैं।	
	ड.) ऊपर ''क्वालीफाइड ओपीनियन के आधार'' के पैरा सं01 में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत उल्लिखित लेखा मानकों के अनुरूप है।	

क्र.सं.	लेखा परीक्षा टिप्पणी	प्रबंध वर्ग की टिप्पणी
	च) ऊपर दिए गए ''मामले का महत्त्व'' पैराग्राफ के उप पैरा सं0 (vii) में वर्णित गोइंग कंसर्न अवधारणा हमारी राय में कंपनी की कार्यप्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।	
	छ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होती है।	
	ज) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता तथा ऐसे नियंत्रणों की कार्यात्मक प्रभावशीलता के संबंध में **अनुलग्नक–2** में दी गई हमारी अलग रिपोर्ट देखें।	
	झ) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में सम्मिलित अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार :	
	(1) कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है – वित्तीय विवरणों का नोट सं0 25 देखें।	
	(2) कंपनी ने दीर्घकालीन कॉन्ट्रेक्ट सहित सहायक कॉन्ट्रेक्ट पर अप्रत्याशित हानि, यदि कोई है, के लिए लागू कानून अथवा लेखा मानकों की अपेक्षानुसार प्रावधान किए हैं।	
	(3) कंपनी को निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि में धनराशि अंतरित करनी अपेक्षित नहीं थी।	
3.	अधिनियम की धारा 143 (5) के संदर्भ में, हमारे द्वारा उपयुक्त रूप से कंपनी की बहियों तथा रिकार्डों की जांच के आधार पर तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निदेशों व उप–निदेशों पर हमारी रिपोर्ट **अनुलग्नक–3** में संलग्न है।	

सम तिथि की अन्य वैधानिक तथा विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट शीर्ष के तहत पैराग्राफ 5(1) में उल्लिखित "अनुलग्नक–1"

क्र.सं.	लेखा परीक्षा टिप्पणियां	प्रबंध वर्ग के उत्तर
1.	**स्थिर परिसंपत्तियां**	
क)	ब्लॉक आधार पर सैप में अंतरित मदों तथा पहचान किए गए घटकों के संबंध में स्थिर परिसंपत्ति रजिस्टर को अपडेट किया जा रहा है (नोट सं0 27(ड.) का पैरा 'ग' देखें)।	कंपनी में सभी विभागों, एपीयू और अन्य संबद्ध उपकरणों जोकि उन परिसंपत्तियों के कुल मूल्य का 93 प्रतिशत हैं जिनका परिसंपत्ति रजिस्टर से मिलान किया जाता है तथा जिनके वास्तविक सत्यापन के लिए कंपनी द्वारा नियमित प्रक्रिया अपनाई जाती है। शेष परिसम्पत्तियों के संबंध में, कंपनी अचल परिसम्पत्ति मॉडयूल को पहले ही कार्यान्वित कर चुकी है जोकि सैप सिस्टम पर स्थान व मात्रात्मक विवरण के वर्णन सहित अचल परिसम्पत्ति के डाटा को सरल और कारगर बना देता है। अचल परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु सभी अनुरोध सैप सिस्टम में एफए मॉड्यूल के माध्यम से प्रोसेस किए जाते हैं। जिसमें परिसम्पत्तियों की मॉनिटरिंग और सत्यापन हेतु उपयुक्त आंतरिक नियंत्रणों को समाविष्ट करते हुए वास्तविक व्यय की तुलना उपलब्ध बज़ट से की जाती है।
ख)	कंपनी द्विवार्षिक अवधि में स्थिर परिसंपत्तियों की सभी मदों का सत्यापन करती है जो कंपनी के आकार तथा इसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति को देखते हुए हमारे मतानुसार उपयुक्त है। हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान प्रबंध वर्ग ने प्रमुख स्थिर परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन कराया तथा स्थिर परिसंपत्तियों की कुछ मदों के वास्तविक सत्यापन पर पाई गई विसंगति, यदि कोई है, के लिए लेखांकन समायोजन, मिलान का कार्य पूरा हो जाने तथा उपयुक्त प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त हो जाने पर किया जाएगा।	
ग)	संपादन के लिए लंबित टाइटल/लीज़ डीड को छोड़कर (नोट सं. 27(क) देखें) अचल संपत्तियों की टाइटल/लीज़ डीड कंपनी के नाम पर होती है; हमें दिए गए विवरण निम्नानुसार हैं:	इस मामले को नागर विमानन मंत्रालय के माध्यम से शहरी विकास मंत्रालय और अन्य प्राधिकरणों के साथ सक्रिय रूप से उठाया जा रहा है और कंपनी भविष्य में टाइटल डीड्स के बहाल होने के लिए आशावान हैं।

प्रकार	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	राशि (मिलियन रुपए में)
लीज़ होल्ड भूमि व भवन	537,969.40	72,995.56
फ्री होल्ड भूमि व भवन	177,629.02	3,467.98

2.	**इनवेंटरी**	
	कंपनी द्विवार्षिक अवधि में इनवेंटरी की सभी मदों का सत्यापन करती है जो कंपनी के आकार तथा इसकी इनवेंटरी की प्रकृति को देखते हुए हमारे मतानुसार उपयुक्त है। हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार द्विवार्षिक अवधि 2014–16 के लिए इनवेंटरियों का वास्तविक सत्यापन अभी	वर्ष 2012–14 की द्विवार्षिक अवधि के लिए इनवेंटरियों के वास्तविक सत्यापन की कार्यवाही चार्टर्ड एकाउंटेंटों की स्वतंत्र फर्मों द्वारा पूरी की गई है। तथापि ऐसे वास्तविक सत्यापन पर पाई गई असंगतियों के लेखाकरण की कार्रवाई सामग्री प्रबंधन विभाग

क्र.सं.	लेखा परीक्षा टिप्पणियां	प्रबंध वर्ग के उत्तर
	जारी है (नोट सं0 28 (ख) देखें)। अतः विसंगति, यदि कोई है, पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।	(एमएमडी) से पुष्टि प्राप्त करने के उपरांत की जाएगी। तथापि जहां कहीं भी ऐसे सत्यापन करने पर कमी की आशंका जताई गई है वहां उपयुक्त प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, वास्तविक सत्यापन को सरल और कारगर बनाने की प्रक्रिया 5.7 रैमको सिस्टम को अपग्रेड करने के साथ पूरी की जाएगी। लेखा परीक्षा की टिप्पणियां नोट कर ली गईं हैं और प्रबंध वर्ग एक स्थाई इनवेंटरी सिस्टम लेकर आएगा जिसके द्वारा वास्तविक इनवेंटरी का वास्तविक रूप से सत्यापन और रिकार्ड के साथ उसकी तुलना की जाएगी तथा वर्तमान प्रक्रियाओं की उद्योग में प्रचलित सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के साथ बैंचमार्किंग कर इनवेंटरी प्रक्रियाओं को अपग्रेड किया जाएगा।
3.	**कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत पार्टियों के साथ लेन–देन** हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में सम्मिलित किसी कंपनी, फर्म, सीमित देयता भागीदारियों अथवा अन्य पार्टियों को वर्श के दौरान रक्षित अथवा अरक्षित किसी प्रकार का कोई ऋण नहीं दिया है। उपर्युक्त के दृश्टिगत आदेश के खण्ड 3(iii)(क), 3(iii)(ख) और 3(iii)(ग) लागू नहीं हैं।	यह कथन सही है।
4.	**अधिनियम की धारा 185 तथा 186 के तहत सम्मिलित ऋण, निवेश, गारंटी व प्रतिभूति आदि** हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 के तहत सम्मिलित कोई ऋण अथवा किसी प्रकार की कोई गारंटी तथा प्रतिभूति नहीं दी है। इसके अतिरिक्त, सरकारी कंपनी होने के कारण कंपनी को धारा 186 के प्रावधानों से छूट प्राप्त है क्योंकि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची (vi) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं प्रदान करने का बिज़नेस कर रही हैं।	यह कथन सही है।

क्र.सं.	लेखा परीक्षा टिप्पणियां	प्रबंध वर्ग के उत्तर
5.	**जमाः**	
	हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, सेवा उद्योग होने के कारण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप धारा (I) के तहत केन्द्रीय भारत सरकार ने लागत रिकार्ड रखने संबंधी आदेश नहीं दिए हैं।	यह कथन सही है।
6.	**लागत रिकार्डः**	
	हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, सेवा उद्योग होने के कारण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप धारा (I) के तहत केन्द्रीय भारत सरकार ने लागत रिकार्ड रखने संबंधी आदेश नहीं दिए हैं।	यह कथन सही है।
7.	**सांविधिक देय**	
	हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा लेखा बहियों की हमारी जांच के आधार पर आयकर, सेवाकर एवं भविष्य निधि में अंशदान को छोड़कर, अविवादित सांविधिक देयों जैसे लागू भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निधि, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, धन कर, विक्रय कर, मूल्य संवर्धित कर, उपकर तथा अन्य दूसरे आर्थिक सांविधिक देयों को उपयुक्त प्राधिकरणों में सामान्यतः देय तिथि के भीतर जमा किया गया है।	यह कथन सही है।
	सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 2016 को 6 माह से अधिक समय से बकाया अविवादित सांविधिक देयताएं निम्नानुसार हैं:	

क्र.सं0	**विवरण**	**बकाया राशि (रुपए मिलियन में)**
1	आयकर –टीडीएस	192.57
2	भविष्य निधि / उस पर ब्याज	12.08

	क. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, निम्नलिखित विवादों को छोड़कर अन्य किसी विवाद के कारण 31 मार्च 2016 तक विक्रय कर, धनकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य संवर्धित कर, सेवा कर तथा उपकर जमा करना शेष नहीं हैः	यह कथन सही है।

क्र.सं.	लेखा परीक्षा टिप्पणियां					प्रबंध वर्ग के उत्तर
क्र. सं0	कानून का नाम	बकाया राशि (रुपए मिलियन में)	देयों का प्रकार	वर्ष	फोरम, जहां विवाद लंबित है	
1	वित्त अधिनियम, 1994	16.56	सीमा शुल्क	1997–2004	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड	
2	वित्त अधिनियम, 1994	14.43	सीमा शुल्क	2005–06	सर्वोच्च न्यायालय	
3	वित्त अधिनियम, 1994	120.31	सीमा शुल्क	2001–2005 2002–2014 2000–2015	सीईएसटीएटी	
4	वित्त अधिनियम, 1994	207.90	सीमा शुल्क	2000–2015 तक अनेक वर्ष	सीमा शुल्क आयुक्त	
5	वित्त अधिनियम, 1994	582.60	सीमा शुल्क	1999–2002	सीमा शुल्क आयुक्त (अपील)	
6	वित्त अधिनियम, 1994	101.66	सीमा शुल्क	2003–05 2007–08	सीमा शुल्क विभाग	
7	वित्त अधिनियम, 1994	5578.30	सेवा कर	2003–2014 तक अनेक वर्ष	सीईएसटीएटी	
8	वित्त अधिनियम, 1994	319.56	सेवा कर	2005–2013 तक अनेक वर्ष	सेवा कर आयुक्त	
9	वित्त अधिनियम, 1994	2.75	सेवा कर	2013–14 2014–15	सेवा कर विभाग	
10	आयकर अधिनियम, 1961	45.57	आय कर	2002–03 2012–13	आय कर आयुक्त	
11	आयकर अधिनियम, 1961	93.82	आय कर	2001–02	उच्च न्यायालय	
12	आयकर अधिनियम, 1961	1028.95	आय कर	2006–07 2000–01	आय कर न्यायाधिकरण	
13	महाराष्ट्र नगरपालिका (चुंगी) नियम 1968	24.70	चुंगी	2010–11 2010–2011	बीएमसी, मुंबई नगर निगम द्वारा मांगे गए	

क्र.सं.	लेखा परीक्षा टिप्पणियां	प्रबंध वर्ग के उत्तर
8.	**बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से आवधिक ऋण:**	
	हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा हमारे मतानुसार, कंपनी ने वित्तीय संस्थानों/बैंकों के देयों की चुकौती में विलंब किया तथा वर्ष के अंत में ऋणों पर पुराने देय ब्याज के रूप में 349.9 मिलियन रुपए का भुगतान बकाया है जिसके लिए वित्तीय विवरणों के नोट सं. 4, 5 तथा 7 के फुटनोट में उल्लिखित तथ्य के दृष्टिगत ऋणदातावार विवरण प्रस्तुत नहीं किए जा सके।	कंपनी के समक्ष लिक्विडिटी की समस्या के कारण ब्याज के भुगतान में कुछ विलंब हुआ है। तथापि, बाद में उनका भुगतान कर दिया गया था और उसमें कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ है। कुछ बैंकों ने ऐसे विलंबित भुगतानों के लिए जुर्माना लगाया था जिसमें छूट के लिए संबंधित बैंकों के समक्ष मामले को उठाया गया है।
9.	**पब्लिक ऑफर एवं ऋण**	
	कंपनी ने आरंभिक पब्लिक ऑफर अथवा आगे अन्य किसी पब्लिक ऑफर (ऋण इन्सट्रूमेंट सहित) के माध्यम से कोई धन जमा नहीं किया है। अतः विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए ऐसे धन का उपयोग नहीं किया गया। कंपनी ने आवधिक ऋणों का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जिनके लिए वे प्राप्त किए गए थे।	यह कथन सही है।
10.	**धोखाधड़ी :**	
	वित्तीय विवरण के नोट 36(घ) में प्रकट की गई धोखाधड़ी को छोड़कर वर्श के दौरान हमें कंपनी द्वारा अथवा कंपनी में इसके अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा आर्थिक धोखाधड़ी की घटनाओं की सूचना अथवा रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है; पिछले वर्शों के दौरान पाई गई धोखाधड़ी का ब्योरा तथा उससे संबंधित जांच/अंतिम समायोजन को नोट सं0 36(क), (ख), (ग) तथा (ड़) में दिया गया है।	इन मामलों की पहले से ही जांच की जा रही है और ऐसी घटनाओं की पुर्नावृत्ति रोकने के लिए जांच के निष्कर्षों के आधार पर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।
11.	**प्रबंधकीय पारिश्रमिक :**	
	जैसाकि सूचित किया गया है नागर विमानन मंत्रालय की दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463(ई) के संदर्भ में प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित धारा 197 के प्रावधान सरकारी कंपनी होने के कारण कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह कथन सही है।
12.	**निधि कंपनी**	
	कंपनी निधि कंपनी नहीं है। अतः यह खण्ड लागू नहीं है।	यह कथन सही है।
13.	**संबंधित पार्टी लेन–देन :**	
	हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्श के दौरान संबंधित पार्टियों के साथ सभी	यह कथन सही है।

क्र.सं.	लेखा परीक्षा टिप्पणियां	प्रबंध वर्ग के उत्तर
	लेन–देन लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित थे तथा जहां लागू है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के प्रावधान लागू नहीं हैं। लागू लेखांकन मानक की अपेक्षानुसार संबंधित पार्टी लेन–देन का विवरण वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है; नोट सं0 40 देखें।	
14.	**शेयरों का प्रिफरेंशियल आबंटन अथवा निजी नियोजन**	
	समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने शेयरों अथवा पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय ऋणपत्रों का कोई प्रिफरेंशियल आबंटन अथवा निजी नियोजन नहीं किया है क्योंकि यह खण्ड कंपनी पर लागू नहीं है।	यह कथन सही है।
15.	**निदेशकों के साथ गैर–नकदी लेन–देन :**	
	कंपनी के रिकार्ड तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने निदेशकों अथवा उनके साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार का गैर–नकदी लेन–देन नहीं किया है अतः यह खण्ड कंपनी पर लागू नहीं है।	यह कथन सही है।
16.	**भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45–I क के तहत पंजीकरणः**	
	कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम,1934 की धारा 45–I क के तहत पंजीकृत होना अपेक्षित नहीं है।	यह कथन सही है।

एअर इंडिया लि. के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर समतिथि की स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का "अनुलग्नक–2"

क्र.सं.	लेखा परीक्षा टिप्पणियां	प्रबंध वर्ग के उत्तर
	कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप–धारा 3 के खण्ड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट	
	हमने 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के साथ–साथ 31 मार्च, 2016 को एअर इंडिया लि. ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा की है।	
	आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंध वर्ग की जिम्मेदारी:	
	कंपनी का प्रबंध वर्ग आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने व बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है, ये ''आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा संबंधी मार्गदर्शन नोट' में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित हैं।'' इन जिम्मेदारियों में उपयुक्त वित्तीय नियंत्रणों की डिज़ाइन, कार्यान्वयन तथा उन्हें बनाए रखना सम्मिलित हैं। ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षा के अनुसार अपने बिज़नेस को सुचारू एवं कुशल रूप से चलाना सुनिश्चित करने, कंपनियों की नीतियों का अनुपालन करने, अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने, धोखाधड़ी तथा त्रुटि को रोकने तथा पता लगाने, लेखा रिकार्डों की परिशुद्धता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के लिए प्रभावशाली रूप से कार्य कर रहे हैं।	यह कथन सही है।
	लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी:	
	अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर मत प्रकट करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने लेखा परीक्षा आईसीएआई द्वारा जारी 'वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट ("गाइडेंस नोट") तथा लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार की है तथा ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के संबंध में लागू कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार हैं। ये दोनों (मार्गदर्शन नोट व लेखा परीक्षा के मानक) आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए	

क्र.सं.	लेखा परीक्षा टिप्पणियां	प्रबंध वर्ग के उत्तर
	लागू हैं तथा दोनों ही इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए हैं। इन मानकों तथा मार्गदर्शन नोट की अपेक्षानुसार हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करते हैं तथा लेखा परीक्षा की योजना व निष्पादन, उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए करते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित व मेंटेन किए गए हैं तथा सभी आर्थिक मामलों के संबंध में ये नियंत्रण प्रभावशाली हैं।	
	हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सिस्टम की उपयुक्तता तथा उसकी कार्यात्मक प्रभावशीलता के बारे में लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं सम्पादित की जाती हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना, वित्तीय विवरणों में मौजूद कमी के जोखिम का मूल्यांकन करना तथा मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिज़ाइन एवं कार्यात्मक प्रभावशीलता का परीक्षण तथा मूल्यांकन सम्मिलित हैं। प्रक्रिया का चयन तथा धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों में गलती के जोखिम का मूल्यांकन लेखा परीक्षक के विवेक पर निर्भर करता है।	
	हमारा विश्वास है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संबंध में अपने लेखा परीक्षा मत को आधार देने के लिए हमने पर्याप्त एवं उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त किए हैं।	
	वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थः	
	वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता तथा वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उपयुक्त आश्वासन देती है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंतर्गत वे नीतियां तथा प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं जो –	यह कथन सही है।
	(1) रिकार्ड के मेनटेनेंस से संबंधित हैं तथा ये रिकार्ड कंपनी के लेन–देन तथा परिसंपत्तियों के वितरण का उपयुक्त विवरण, परिशुद्धता व स्पष्ट रूप से दर्शाते हों।	
	(2) पर्याप्त आश्वासन देती हैं कि सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने की आवश्यकतानुसार लेन–देन रिकार्ड किए जाते हैं तथा कंपनी की प्राप्तियां तथा	

क्र.सं.	लेखा परीक्षा टिप्पणियां	प्रबंध वर्ग के उत्तर
	व्यय कंपनी के प्रबंध वर्ग तथा निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार किए जाते हैं; तथा	
	(3) कंपनी की परिसंपत्तियों, जिनका वित्तीय विवरणों पर सार्थक प्रभाव पड़ सकता है, के अप्राधिकृत अर्जन, उपयोग अथवा वितरण को रोकने अथवा समय पर उनका पता लगाने के संबंध में यथोचित आश्वासन देती है।	
	वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं:	
	वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं तथा नियंत्रणों की कपटपूर्ण अथवा अनुपयुक्त प्रबंधन की संभावना के कारण भूलवश अथवा धोखाधड़ी से वित्तीय विवरणों में त्रुटि हो सकती है तथा उनका पता न लगने की संभावना हो सकती है। साथ ही भावी समयावधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमानों से ऐसे जोखिम हो सकते हैं कि स्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अनुपयुक्त हो सकते हैं अथवा नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन के अंश में कमी आ सकती है।	
	क्वालीफाइड ओपीनियन	
	हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर 31 मार्च, 2016 को निम्नलिखित तथ्यात्मक कमियां पाई गईं :	(i) और (ii) का उत्तर एयरलाइन के उद्योग में, विक्रय को देयता के रूप में दर्ज किया जाता है और केवल यात्रा करने पर ही इसे राजस्व में परिवर्तित किया जाता है। अतः विक्रय प्रोसेसिंग और राजस्व प्रोसेसिंग दो स्वतंत्र गतिविधियां हैं।
(i)	कंपनी में विक्रय/राजस्व तथा इनवेंटरी प्रबंधन से संबंधित विभिन्न कार्यात्मक सॉफ्टवेयर के बीच व एकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ कोई इंटरफेस नहीं है जिसके परिणामस्वरूप लेखांकन प्रविष्टियां मैनुअली की जाती हैं।	विक्रय के संबंध में, 85–90 प्रतिशत विक्रय बीएसपी (यूएसए में एआरसी) के माध्यम से सृजित की जाती है और इन विक्रयों का डाटा दैनिक आधार पर सीधे–सीधे आईएटीए से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त होता है। केवल शेष 15 प्रतिशत (एयरपोर्ट/बुकिंग कार्यालय/जीएसए कार्यालय और वेब के माध्यम से किए गए विक्रयों का डाटा) सीता के माध्यम से उसी प्रकार से प्राप्त होता है। किसी विशेष स्टेशन पर किए गए सभी प्रकार के विक्रयों के लिए, एजेंटों के माध्यम से किए गए विक्रयों के लिए बीएसपी रिपोर्टें उपलब्ध हैं, और बुकिंग कार्यालय विक्रयों के लिए सीटा की ओर से एसओआर विक्रय रिपोर्ट
(ii)	कंपनी में विक्रय/राजस्व के संबंध में नियंत्रण लेखों के मिलान के लिए कोई उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण सिस्टम नहीं है।	
(iii)	कंपनी में सांविधिक देयों की कटौती, जमा तथा समायोजन के लिए कोई उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण सिस्टम नहीं है।	
(iv)	कंपनी में अपने कार्य व्यापार के आकार, प्रकृति तथा जटिलताओं के अनुरूप प्रभावशाली आंतरिक लेखा परीक्षा सिस्टम नहीं है।	

क्र.सं.	लेखा परीक्षा टिप्पणियां	प्रबंध वर्ग के उत्तर
(v)	कंपनी में आवधिक आधार पर शेषों की पुष्टि प्राप्त करने तथा मिलान न हुए प्राप्य एवं देयों के समायोजन के लिए कोई उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण सिस्टम नहीं है।	उपलब्ध है। स्टेशन इन्हीं रिपोर्टों के आधार पर नगद विक्रयों और प्राप्यों को रिकार्ड करता है। देयता निर्धारित करने के लिए थर्ड पार्ट वेंडर (एक्सेल्या) द्वारा यही डाटा प्रोसेस किया जाता है। स्टेशन द्वारा बुक किए गए प्राप्य और एक्सेल्या द्वारा निर्धारित देयता सामान्य रूप से एक समान होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी प्राप्यों को बुक कर रही है और देयता को निर्धारित कर रही है, यह दो तरफा प्रक्रिया मध्यवर्ती खातों के माध्यम से मुख्यरूप से आंतरिक वित्तीय नियंत्रणें के लिए है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे आपस में मेल खाते हैं। प्रत्येक कार्यालय के लिए मासिक आधार पर एक मिलान विवरणी बनाई जाती है जिसमें अंतरों/भिन्नताओं के कारण भी दिए जाते हैं। यह देखा गया है कि ये अंतर/भिन्नताएं मुख्य रूप से समय ओवरलैप, मुद्रा को गलत रूप से दर्शाना, भुगतान का गलत रूप (अधिकांश रूप से टिकटिंग गलतियों के कारण) जिनकी जांच बाद में की जाती है और उन्हें परिशोधित किया जाता है। स्टेशन उन रिपोर्टों की जांच करते हैं, इसके पश्चात्, यदि उन्होंने कोई गलती की है तो या तो प्राप्य निर्धारित किया जाता है अथवा किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए एक्सेल्या को सूचित कर दिया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि अंतर/भिन्नता, यदि कोई हो, तो वे पी एंड एल खाते को प्रभावित नहीं करते और परिसंपत्तियों/देयताओं में रहते हैं।
(vi)	कंपनी में आईटी के सामान्य नियंत्रण के मूल्यांकन व परीक्षण के लिए कोई प्रभावशाली सूचना प्रणाली ऑडिट नहीं है जो आईटी सिस्टम से सृजित रिपोर्टों की पूर्णता, परिशुद्धता तथा विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकता है। वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में "तथ्यात्मक कमी" एक ऐसी कमी अथवा कमियों का संयोजन है जिसमें यह संभावना रहती है कि कंपनी के वार्षिक या अंतरिक वित्तीय विवरणों में तथ्यात्मक त्रुटि को समय पर रोका अथवा पहचाना नहीं जा सकेगा। हमारे मतानुसार, नियंत्रण मानदंड के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु ऊपर उल्लिखित तथ्यात्मक कमी के प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोड़कर कंपनी ने सभी आर्थिक मामलों के संबंध में वित्तीय रिपोर्टिंग पर उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मेंटेन किए हैं तथा 31 मार्च, 2016 को वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावशाली रूप से कार्य कर रहे थे तथा ये नियंत्रण इनस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी 'वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट' में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित हैं। हमने जहां तक संभव है कंपनी की 31 मार्च, 2016 की स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में प्रयोग किए गए लेखा परीक्षा परीक्षणों की प्रकृति, समय व सीमा निर्धारित करने में ऊपर रिपोर्ट की गईं व पाई गईं तथ्यात्मक कमियों पर विचार किया है तथा इन तथ्यात्मक कमियों से कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारा मत प्रभावित होने की संभावना नहीं है।	दिनांक 31 मार्च, 2016 को इन मध्यवर्ती खातों में शेष राशि 4.32 करोड़ रुपए है जिसमें से अधिकांश राशि की पहचान, मिलान कर लिया गया है और लेखा परीक्षकों को दिखा दिया गया है, तथा समायोजन प्रविष्टियां, यदि कोई हों, 2016–17 की बाद की अवधि में पास कर दी जाएंगी। राजस्व प्रोसेसिंग एक पृथक कार्यवाही है। यह देयता विक्रय प्रोसेसिंग के माध्यम से निर्धारित की जाती है और सभी एयरपोर्टों पर समस्त अपलिफ्टों के लिए पुनः दैनिक आधार पर सीता सिस्टम से प्राप्त फ्लोन डाटा के आधार पर इसे राजस्व में परिवर्तित कर दिया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि अपलाइफ की हुई कोई टिकट, जिसके लिए कोई सेल प्रोसेस नहीं की गई है, उसे तुरंत

क्र.सं.	लेखा परीक्षा टिप्पणियां	प्रबंध वर्ग के उत्तर
		अनरिपोर्टेड विक्रय के रूप में दर्शा दिया जाता हे और उसी समय एजेंटों पर उसे डेबिट दिखा दिया जाता है। (iii) कंपनी ने सांविधिक देयों का फाइल की गई रिटर्न्स/रखे गए सांविधिक रिकार्डों से मिलान करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंटों की एक बाहरी फर्म को रखा है। जब भी इन मिलानों का कार्य पूरा हो जाएगा तो कंपनी आवश्यक समायोजन कर लेगी। तथापि, कंपनी ने यह सुनिश्चित करने के सभी कदम उठाए हैं कि टीडीएस प्रावधान उपयुक्त रूप से अधिकार में ले लिए गए हैं और सौंप दिए गए हैं। सेवा कर के संबंध में मौजूदा सिस्टम की पुनः जांच की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी सेनवैट क्रेडिट समयोचित आधार पर ले लिए जाते हैं। (iv) कंपनी के व्यवसाय के अनेक क्षेत्रों में आंतरिक लेखा परीक्षा की संभावना को सशक्त करने और उसमें वृद्धि करने के लिए वर्श 2014–15 के दौरान बाहरी आंतरिक लेखा परीक्षकों की दो फर्में नियुक्त की गई थीं। इन्हीं आंतरिक लेखा परीक्षा फर्मों को वर्ष 2015–16 में भी रखा गया था और वश 2016–17 के दौरान भी जारी रहेंगी। इन लेखा परीक्षकों की सहायता से और इन–हाउस आंतरिक लेखा परीक्षा टीम के सशक्तीकरण से कंपनी की मंशा कंपनी के व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप आंतरिक लेखा परीक्षा की कवरेज़ और संभावनाओं को सशक्त बनाने की है। (v) कंपनी ने बड़े विक्रेताओं, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं, जिनके साथ कंपनी की धन संबंधी देनदारी है, उनके साथ बकायों की पुष्टि की है। यह कंपनी के ऋणदाताओं के बहुमत का गठन करता है। उसी प्रकार से, एजेंटों/जीएसए/वेंडरों से प्राप्यों/देयों के संबंध में कंपनी आवधिक आधार पर बकायों का पुष्टिकरण प्राप्त करने के सिस्टम को सशक्त बनाएगी।

क्र.सं.	लेखा परीक्षा टिप्पणियां	प्रबंध वर्ग के उत्तर
		इसके अतिरिक्त, बे–मेल प्राप्यों और देयों के मिलान के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि कंपनी सैप में प्राप्यों और देयों के बड़े भाग का मिलान कर चुकी है। तथापि, शेष खातों के संबंध में सैप में बे–मेल प्राप्यों और देयों के मिलान की कार्रवाई वित्त वर्ष 2016–17 में की जाएगी। प्रबंध वर्ग का मत है कि कंपनी के व्यवसाय की सामान्य कार्यवाही में जिन वेंडरों के साथ डील (व्यवसाय) करना है, उनकी संख्या अत्यधिक होने के कारण, सभी वेंडरों से बकायों की पूर्ण पुष्टि प्राप्त करना संभव नहीं है। बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और अन्य बड़े वेंडरों से प्राप्त पुष्टिकरण के आधार पर प्रबंध वर्ग का मत है कि वित्तीय विवरण में दर्शाए गए बकाए विभिन्न वेंडरों/पार्टियों को/से देनदारी/लेनदारी की सही एवं उचित राशि को दर्शाते हैं।